संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
राज्य स्वास्थ्य समिति
बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. /आर.सी.एच. /एम.एच. /2013–14/ भोपाल, दिनांक /04/2013

–:परिपत्र:–

विषयः– वर्ष 2013–14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत जांच हेतु औषधि निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2012–13/330 दिनांक 07.07.2012

——00——

वर्ष 2012–13 की जिला स्तरीय कार्ययोजना में आर.सी.एच. अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य कंपोनेंट के जे.एस.एस.के. मद में अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या के आधार पर 200 एडल्ट आयरन फोलिक एसिड गोलियां (रू. 18.60), 100 फोलिक एसिड गोलियां (रू. 5.20) एवं टीटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन (रू. 1.50) कुल रूपये 25.30 प्रति महिला के मान से जिले की जिला स्तरीय कार्ययोजना में स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2013–14 में भी मैदानी स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर जांच कराने वाली तथा शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव पूर्व जांच हेतु आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला को आवश्यकतानुसार 100 फोलिक एसिड की गोली तथा 100 अथवा 200 एडल्ट आयरन फोलिक एसिड की गोलियां एवं प्रसव उपरांत अवधि में शासकीय संस्था से डिस्चार्ज उपरांत 100 आयरन की गोलियां प्रदाय करना सुनिश्चित किया जाए।

हर 3 माह हेतु औषधि एवं सामग्री का मांगपत्र जिले में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर तैयार कर नियमानुसार क्रय आदेश जारी किये जाये तथा शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग को भी उनकी आवश्यकतानुसार राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्तातरित की जाये।

/

(डॉ. एम.गीता)
मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आर.सी.एच./एम.एच./2013–14/ 348 भोपाल, दिनांक 22/04/2013
प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. अधिष्ठाता, समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त विकासखण्ड अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. समस्त संभागीय संलाहकार/मातृ स्वास्थ्य सलाहकार, मध्यप्रदेश
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक

मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश